जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./19/डी– 579 दिनांकः– 08/07/2019

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **148वीं बैठक दिनांकः 08.07.2019 को अपराह्न 12.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		148:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 147वीं बैठक दिनांक 05.10.18 के कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं बैठक 128वीं से 147वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 147वीं बैठक दिनांक 05.10.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं बैठक संख्या 128 से 147 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये एक सप्ताह में शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	9	148:2	झालाना संस्थानिक क्षेत्र मे संस्थाओं को आवंटित भूमि के बदले मे जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर को 13000व.मी. व्यावसायिक भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा राजस्थान सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय, मंत्रिमण्डल की आज्ञा 141/2018 के अनुसार दिनांक 18 जुलाई 2018 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक मे नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प. 1 (221) नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 05.07.18 पर विचार–विमर्श कर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. एवं सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय को जविप्रा जोन–1 झालाना संस्थानिक क्षेत्र मे पूर्व मे आवंटित भूमि के स्थान पर समान महत्व की अन्य जगह भूमि आवंटित किये जाने एवं मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अन्य स्थान पर भूमि दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर अन्यत्र भूमि आवंटित की जावेगी। योजना निलय कुंज से लगते हुये खसरा नम्बर 1422, 1423, 1424 कुल किता 3 रकबा 5.18 हैक्टे. भूमि की प्लानिंग कर निलय कुंज विस्तार योजना मे 13000 वर्ग मीटर का भूखण्ड जयपुर मेट्रो को आवंटन किये जाने हेतु सृजित किया गया। योजना निलय कुंज विस्तार का अनुमोदन पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 16.11.18 मे किया गया। उक्त योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर RAJ/P/2019/937 के द्वारा किया जा चुका है। जविप्रा की योजना निलय कुंज विस्तार के मिश्रित उपयोग का भूखण्ड संख्या आर–1 क्षेत्रफल 13000 वर्ग मीटर जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर को आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर जविप्रा की योजना निलय कुंज विस्तार के मिश्रित उपयोग का भूखण्ड संख्या आर–1 क्षेत्रफल 13000 वर्ग मीटर जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर को आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

अंकिता बिश्नोई
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
सदस्य सचिव एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशनः (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

3	1	148:3	राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड झालाना संस्थानिक क्षेत्र में संस्थाओं को आवंटित भूमि के बदले में मेट्रों रेल कॉरपोरशन लिमिटेड की भूमि में से आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा राज. अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को राज्य सरकार के आदेश कमांक प.1(196)नविवि/जयपुर/ 2013 दिनांक 17.01.2017 के अनुक्रम में भूखण्ड संख्या पार्ट बी–1, क्षेत्रफल 2684.19 वर्गमीटर का दिनांक 13.02.17 के द्वारा निशुल्क आवंटन पत्र जारी किया गया। दिनांक 18.07.2018 को आयोजित मंत्री मण्डल की बैठक में नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कमांक प. 1(221)नविवि /जयपुर/2017 दिनांक 05.07.18 पर विचार विमर्श कर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार एवं सहायक आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में पूर्व में झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जोन–1 में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर, इन विभागों/कार्यालयों को समान महत्व की भूमि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. को आवंटित भूमि में से पुनः भूमि आवंटित की जावेगी। संस्थाओं/विभागों को भूमि मेट्रों रेल कॉरपोरेशन की भूमि जो झालाना बाईपास पर स्थित है, में आवंटित किये जाने का मंत्रीमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि का एमडीपी 2025 में दर्शित भू–उपयोग टी.ओ.डी. में संस्थानिक गतिविधि अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को कार्यालय एंव आवास हेतु आवंटित भूमि के बदले में Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से भूखण्ड सं. 04 क्षेत्रफल 2684.00 व.मी. भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को कार्यालय एंव आवास हेतु आवंटित भूमि के बदले में Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से भूखण्ड सं. 04 क्षेत्रफल 2684.00 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

(सुनीता बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
सदस्य सचिव एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

4	1	148:4	एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में संस्थाओं को आवंटित भूमि के बदले में मेट्रों रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमि में से आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार को राजस्थान सरकार की मंत्रिमण्डल आज्ञा कमांक 104/2016 दिनांक 09.08.16 के अनुकम में कार्यालय भवन हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या पार्ट–सी, क्षेत्रफल 2000 व.मी. भूमि का आवंटन पत्र व दिनांक 24.01.17 को कब्जा तथा दिनांक 30.01.17 को पट्टा जारी किया जा चुका है। भूखण्ड की कुल नजराना राशि 6,94,25,100/–रू. संस्था द्वारा जमा कराये गये है। दिनांक 18.07.2018 को आयोजित मंत्री मण्डल की बैठक में नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कमांक प.1(221)नविवि/ जयपुर/2017 दिनांक 05.07.18 पर विचार विमर्श कर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार एवं सहायक आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में पूर्व में झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जोन–1 में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर, इन विभागों/कार्यालयों को समान महत्व की भूमि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. को आवंटित भूमि में से पुनः भूमि आवंटित की जावेगी। संस्थाओं/विभागों को भूमि मेट्रों रेल कॉरपोरेशन की भूमि जो झालाना बाईपास पर स्थित है, में आवंटित किये जाने का मंत्रीमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि का एमडीपी 2025 में दर्शित भू–उपयोग टी.ओ.डी. में संस्थानिक गतिविधि अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार को कार्यालय एंव आवास हेतु आवंटित भूमि के बदले में Layout of Land Situated in front of Ararya Bhawan (Previously with Metro) में से भूखण्ड सं. 03 क्षेत्रफल 2000.00 व.मी. भूमि आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार को कार्यालय एंव आवास हेतु आवंटित भूमि के बदले में Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से भूखण्ड सं. 03 क्षेत्रफल 2000.00 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5	1	148:5	सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में संस्थाओं को आवंटित भूमि के बदले में मेट्रों रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमि में से आवंटन करने बाबत्। (संचित बिश्नोई) अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) सदस्य सचिव एवं जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	उपायुक्त जोन–1 द्वारा सहायक आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार को राजस्थान सरकार की मंत्रिमण्डल आज्ञा कमांक 126/2016 दिनांक 02.10.16 के अनुकम में कार्यलय एवं आवास हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र, भू.सं. पार्ट–डी, क्षेत्रफल 3979.74 वर्गमीटर का आवंटन पत्र दिनांक 13.10.16 को जारी कर दिनांक 27.01.17 को पट्टा जारी किया जा चुका है। भूखण्ड की कुल नजराना राशि 8,65,59,445/–रू. संस्था द्वारा जमा कराये गये है। दिनांक 18.07.2018 को आयोजित मंत्री मण्डल की बैठक में नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कमांक प.1(221)नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 05.07.18 पर विचार विमर्श कर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार एवं सहायक आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में पूर्व में झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जोन–1 में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर, इन विभागों/कार्यालयों को समान महत्व की भूमि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. को आवंटित भूमि में से पुनः भूमि आवंटित की जावेगी। संस्थाओं/विभागों को भूमि मेट्रों रेल कॉरपोरेशन की भूमि जो झालाना बाईपास पर स्थित है, में आवंटित किये जाने का मंत्रीमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि का एमडीपी 2025 में दर्शित

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				भू-उपयोग टी.ओ.डी. में संस्थानिक गतिविधि अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कार्यालय एंव आवास हेतु आवंटित भूमि के बदले में Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से भूखण्ड सं. 01 क्षेत्रफल 3979.74 व.मी. भूमि आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कार्यालय एंव आवास हेतु आवंटित भूमि के बदले में Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से भूखण्ड सं. 01 क्षेत्रफल 3979.74 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6	1	148:6	राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लि. एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में मेट्रों रेल कॉरपोरशन लिमिटेड की भूमि में से भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लि. एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. को आबकारी भवन हेतु Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से शेष रहें चौथे भूखण्ड सं. 02 क्षेत्रफल 2459.50 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर 15000/-रू. प्रति व.मी.+ संस्थानिक क्षेत्र का 25 प्रतिशत पर आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लि. एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. को आबकारी भवन हेतु Layout of Land Situated in front of Aranya Bhawan (Previously with Metro) में से शेष रहें चौथे भूखण्ड सं. 02 क्षेत्रफल 2459.50 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर 15000/-रू. प्रति व.मी. की दुगुनी राशि + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7	2	148:7	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन डी.बी.सी.डब्ल्यू 15853/2017 राजस्थान स्टेट सर्विसेज ऑथोरिटी बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 के क्रम में पोक्सों न्यायालयों हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन-2 द्वारा जयपुर महानगर न्याय क्षेत्र में नवसजित पोक्सों न्यायालय संख्या 1,2,3,4,5, एवं 6 कुल 6 न्यायालयों की स्थापना के लिए पोक्सो न्यायालय भवन के निर्माण हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-4 के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/12-13 कुल क्षेत्रफल 1250व.मी. का आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फास्ट्रेक्चर हेतु 1000व.मी. तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की हुई है। इससे अधिक आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति वांछनीय है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर जयपुर महानगर न्याय क्षेत्र में नवसजित पोक्सों न्यायालय संख्या 1,2,3,4,5, एवं 6 कुल 6 न्यायालयों की स्थापना के लिए पोक्सो न्यायालय भवन के निर्माण हेतु विद्याधर नगर योजना के सेक्टर नम्बर-4 के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/12-13 कुल क्षेत्रफल 1250व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण, राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

(संगीता बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशनः (7019) : फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

8	2	148:8	केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूखण्ड संख्या आर–01 क्षेत्रफल 790 व.मी., झालाना कच्ची बस्ती के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर का आवंटन पत्र जोन–01 के पत्रांक डी–2260 दिनांक 09.05.2016 द्वारा जारी किया गया था को निरस्त कर विद्याधर नगर सेक्टर नम्बर–04 में संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/09 क्षेत्रफल 875 व.मी. भूमि आवंटन करने बावत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूखण्ड संख्या आर–01 क्षेत्रफल 790 व.ग., झालाना कच्ची बस्ती के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर का आवंटन पत्रांक डी–2260 दिनांक 09.05.2016 एवं कब्जा पत्र क्रमांक 4248–51 दिनांक 31.082016 को जारी किया गया था। जिसकी लीज डीड क्रमांक 331 दिनांक 29.09.2016 को जारी की गई है को निरस्त किया जाकर विद्याधर नगर सेक्टर नम्बर–4 के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/09 क्षेत्रफल 875 व.मी. भूमि का आवंटन विद्याधर नगर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 20000/–रु.प्र.व.मी. की दुगनी दर+15 प्रतिशत नगरीय निकाय को देय राशि अर्थात 46000/–रु. प्र.व.मी. की दर पर आवंटन कर पूर्व में आवंटित भूमि के पेटे जमा राशि का समायोजन करते हुए नवीन भूखण्ड आवंटन की अन्तर राशि ली जाकर एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूखण्ड संख्या आर–01 क्षेत्रफल 790 व.ग., झालाना कच्ची बस्ती के पास, झालाना डूंगरी, जयपुर का आवंटन पत्रांक डी–2260 दिनांक 09.05.2016 एवं कब्जा पत्र क्रमांक 4248–51 दिनांक 31.082016 को जारी किया गया था। जिसकी लीज डीड क्रमांक 331 दिनांक 29.09.2016 को जारी की गई है को निरस्त किया जाकर विद्याधर नगर सेक्टर नम्बर–4 के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/09 क्षेत्रफल 875 व.मी. भूमि का आवंटन विद्याधर नगर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 20000/–रु.प्र.व.मी. की दुगनी दर+15 प्रतिशत नगरीय निकाय को देय राशि अर्थात 46000/–रु. प्र.व.मी. की दर पर आवंटन कर पूर्व में आवंटित भूमि के पेटे जमा राशि का समायोजन करते हुए(पूर्व में जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा) नवीन भूखण्ड आवंटन की अन्तर राशि ली जाकर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9	2	148:9	गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को नवीन मुख्यालय भवन निर्मित करने हेतु संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/10-11 कुल क्षेत्रफल 1250.00 व.मी., सेक्टर नम्बर–4, विद्याधर नगर, जयपुर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त नोट–2 द्वारा गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को नवीन मुख्यालय भवन निर्मित करने हेतु संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/10-11 कुल क्षेत्रफल 1250.00 व.मी., सेक्टर नम्बर–4, विद्याधर नगर, जयपुर में भूमि आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फास्ट्रेक्चर हेतु 1000व.मी. तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की हुई है। इससे अधिक आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति वांछनीय है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को नवीन मुख्यालय भवन निर्मित करने हेतु संस्थानिक भूखण्ड संख्या 4/I/10-11 कुल क्षेत्रफल 1250.00 व.मी., सेक्टर नम्बर–4, विद्याधर नगर, जयपुर में भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

10	5	148:10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को उच्च /स्वच्छ जलाशय हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त नोट–5 द्वारा नवजीवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना कृष्णा नगर के अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 57 से भूखण्ड संख्या 69 के पश्चिम में स्थित भूमि फैसलिटी हेतु आरक्षित है। जिसका क्षेत्रफल 5670.00 वर्गगज है। जिसमे से भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 104'x(45'+47')/2=531.55 वर्गगज का आवंटन उच्च/स्वच्छ जलाशय हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर नवजीवन गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना कृष्णा नगर के अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 57 से भूखण्ड संख्या 69 के पश्चिम में स्थित भूमि फैसलिटी हेतु आरक्षित है। जिसका क्षेत्रफल 5670.00 वर्गगज है जिसमे से भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 104'x(45'+47')/2=531.55 वर्गगज का आवंटन उच्च/स्वच्छ जलाशय हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के अनुसरण में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11	5	148:11	जयपुर नगर निगम, जयपुर को करतारपुरा नाले के पास खसरा नं. 207 रकबा 0.6 है0 गैर मुमकिन पाल तथा 208 रकबा 0.35 है0 गैरमुमकिन कुल किता 2 रकबा 0.41 है0 में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत करतारपुरा नाले के दोनो तरफ बसी कॉलोनियां लो लेयिंग एरिया में सीवरलाईन डालने के कार्य के लिये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने हेतु सचिव, स्थानीय निकाय विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 4.2.2019 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या–3 (बी) में दिये गये निर्देशानुसार खसरा नं. 207 व 208 ग्राम देवरी को करतारपुरा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु चिन्हित किया गया है तथा जेडीए उक्त भूमि पर अतिक्रमण मुक्त भूमि को चिन्हित करेगा व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु नगर निगम जयपुर भूमि आवंटन हेतु आवदेन करेगा। उक्त सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण से लगभग 4600 घरो के हाउस सर्विस कनेक्शन किये जावेगे एवं उनको सीवर लाईन से जोडा जावेगा। जिससे 15000 से 20000 लोग लाभान्वित होगे। जयपुर नगर निगम को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण किये जाने हेतु उक्त भूमि आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रेक्चर हेतु 1000व.मी. तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की हुई है। इससे अधिक आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति वांछनीय है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जयपुर नगर निगम, जयपुर को करतारपुरा नाले के पास खसरा नं. 207 रकबा 0.6 है0 गैर मुमकिन पाल तथा 208 रकबा 0.35 है0 गैरमुमकिन कुल किता 2 रकबा 0.41 है0 में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

12	9	148:12	अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण उपखण्ड प्रथम सांगानेर, जयपुर को ग्राम पंचायत विधानी पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में उच्च जलाश्य निर्माण हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0अभि0 विभाग, जिला ग्रामीण उपखण्ड प्रथम सांगानेर द्वारा 500 वर्ग मीटर भूमि निजी खातेदारी की योजना विनायक रेजीडेन्सी हाईटेंशन लाईन या इसके आस–पास अन्य स्थान जीरोता मे भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है । समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना विनायक रेजीडेन्सी ए, बी, सी मे सुविधा भूमि क्षेत्रफल 479.33 वर्ग मीटर उपलब्ध है जिसे अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग, जिला ग्रामीण उपखण्ड प्रथम, जयपुर को उच्च जलाश्य निर्माण हेतु 479.33 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के अनुसरण में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13	10	148:13	सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा ग्राम पंचायत विजयपुरा को सावर्जनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को निरस्त करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा खसरा नम्बर 505 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म बंजड–I, ग्राम विजयपुरा मे सावर्जनिक प्रयोजनार्थ (आगंनबाडी, सामुदायिक भवन, पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र व खेल मेदान, खाद बीज गोदाम व पटवार भवन हेतु) भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय एलपीसी की 146.13 बैठक दिनांक 12.09.18 मे किया गया था।परन्तु बाद मे जांच करने पर पाया गया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 505 की खातेदारी पूर्व मे नाथूराम पुत्र गोपाराम जाति बलाई के नाम दर्ज थी। खातेदार नाथूराम के मुख्त्यारआम श्री विमल कुमार पुत्र मदनलाल ने दिनांक 17.01.96 को जरिये इकरारनामा श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि. जरिये अध्यक्ष महेन्द्र चौधरी को बेचान करना पाया गया है। उक्तानुसार भूमि खसरा नम्बर 505 जविप्रा की नही होकर श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की है जिसकी 90बी दिनांक 03.01.2002 के द्वारा जविप्रा मे दर्ज हो चुकी है। परन्तु जमाबन्दी मे किस्म अंकित नही होने के कारण ग्राम पंचायत को विजयपुरा को सहवन से भूमि का आवंटन कर दिया गया है। अतः उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है । समिति द्वारा विचार विमर्श कर खसरा नम्बर 505 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म बंजड–I, ग्राम विजयपुरा मे सावर्जनिक प्रयोजनार्थ (आगंनबाडी, सामुदायिक भवन, पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र व खेल मेदान, खाद बीज गोदाम व पटवार भवन हेतु) ग्राम पंचायत विजयपुरा को भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय एलपीसी की 146.13 बैठक दिनांक 12.09.18 मे किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

(सचिन बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
सदस्य सचिव एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

14	12	148:14	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी को भूमि आंवटन बाबत्।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी क्षेत्रीय परिसर जयपुर द्वारा ट्रेनिंग सेन्टर जविप्रा की हरध्यानपुरा योजना में कुल 4 भूखण्ड सृजित है, जिसमें कुल 4 भूखण्ड कमशः भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 6504.87 व.मी., भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 6487.78 व.मी., भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 6461.58 व.मी., भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 6421.10 व.मी. को इकजाई कर कुल क्षेत्रफल 25874.32 वर्गमीटर अर्थात लगभग 6.39 एकड भूमि उपलब्ध है, जिसे संस्था को आवंटित किए जाने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार--विमर्श कर अकादमी को ट्रेनिंग सेन्टर हेतु जविप्रा की हरध्यानपुरा योजना में कुल 4 भूखण्ड सृजित है, जिसमें कुल 4 भूखण्ड कमशः भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 6504.87 व.मी., भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 6487.78 व.मी., भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 6461.58 व.मी., भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 6421.10 व.मी. को इकजाई कर कुल क्षेत्रफल 25874.32 वर्गमीटर अर्थात लगभग 6.39 एकड भूमि, प्रस्तावित भूखण्ड यू–3 में स्थित है व भूखण्ड संस्थानिक है तथा 30 मीटर सडक कार्नर पर स्थित है, संस्थानिक आरक्षित दर 12650/–रू. प्र.व.मी. + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने का निर्णय किया गया।
15	13	148:15	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ को जविप्रा संस्थानिक योजना, ग्राम–कानाता, तह॰–बस्सी में भूखण्ड संख्या 1 में से 4000.00 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविट रिट पिटिशन (पी.आई.एल) नं॰ 8250/2018 एडवोकेट पंकज शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 02.04.2019 की पालना में राजस्थान नेत्रहीन कलयाण संघ के अधिनस्थ चल रहे दिव्यांग (दृष्टीबाधितार्थ) विभिन्न प्रोजेक्ट्स हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना कानोता, तहसील–बस्सी के भूखण्ड संख्या 1 में से 4000 व.मी. भूमि आवंटन करने के लिए एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविट रिट पिटिशन (पी.आई.एल) नं॰ 8250/2018 एडवोकेट पंकज शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 02.04.2019 की पालना में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के अधिनस्थ चल रहे दिव्यांग (दृष्टीबाधितार्थ) विभिन्न प्रोजेक्ट्स हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना कानोता, तहसील–बस्सी के भूखण्ड संख्या 1 में से 4000 व.मी. भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने का निर्णय किया गया।
16	13	148:16	राजस्थान (आई.एल.डी.) स्किल यूनिवर्सिटी (RISU) को जयपुर में भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा कुलपति, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय को राजस्थान (आई.एल.डी) कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जविप्रा की नॉलेज सिटी (नॉर्थ) चौंप में संस्थानिक भूखण्ड 97060.63 व.मी. आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर कुलपति, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय को राजस्थान (आई.एल.डी) कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जविप्रा की नॉलेज सिटी (नॉर्थ) चौंप में संस्थानिक भूखण्ड 97060.63 व.मी. संस्थानिक आरक्षित दर + 15प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि पर आवंटन करने का निर्णय किया गया।

(बिश्नोई)
अतिरिक्त आयुक्त (पॉलिसी)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

17	12	148:16 (1)	उच्च शिक्षा विभाग के अधीन हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा जोन–14 क्षेत्राधिकार तहसील फागी में जविप्रा की नॉलेज सिटी (साउथ) योजना में "हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविधालय" को पूर्व में उपशासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांकः प.3 (672) नविदि/3/2012 दिनांक 7.11.2012 के द्वारा आवंटन हेतु जारी स्वीकृति के कम में तहसील फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भू.सं. यू–1 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित किया गया था। उक्त भूमि का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नही किया गया है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध एवं रिक्त है। जविप्रा की दहमींकला की संस्थानिक योजना के समीप लगभग 1.5 किमी की दूरी पर ग्राम घेंघा में जविप्रा की संस्थानिक योजना जिसका कुल क्षेत्रफल 24.50 हैक्टयर है, जो वर्ष 2015 में अनुमोदित की जा चुकी है, स्थित है। उक्त योजना में आज दिनांक तक किसी भी संस्था को भूमि का आवंटन नही किया गया है। अतः ग्राम घेघा में अनुमोदित संस्थानिक योजना खसरा नं. 144, 156, 158, 159, 160, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204 को निरस्त करते हुये "हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविधालय" को एक ही स्थान पर पर्याप्त भूमि आवंटन की जा सकती है। उक्त भूमि को मास्टर विकास योजना 2025 की प्रस्तावित 30 मीटर सडक उपलब्ध है, बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रेक्चर हेतु 1000व.मी. तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की हुई है। इससे अधिक आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति वांछनीय है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर "हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविधालय" को तहसील फागी में नॉलेज सिटी (साउथ) योजना के भू.सं. यू–1 क्षेत्रफल 12.00 हेक्टेयर पूर्व में आवंटित भूमि को निरस्त करते हुए इसके स्थान पर जविप्रा की दहमींकला की संस्थानिक योजना के समीप लगभग 1.5 किमी की दूरी पर ग्राम घेंघा में जविप्रा की संस्थानिक योजना में एक ही स्थान पर क्षेत्रफल 12.00 है॰ भूमि निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता बिश्नोई)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}. फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी—द्वितीय/नगर—आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन—1 से 14 व पीआरएन (उत्तर—I/II व दक्षिण—I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. उपनिदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

(संचिता बिश्नोई)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

परिशिष्ट-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 148वीं बैठक दिनांक 08.07.2019 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूचीः–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	एल.पी.सी. में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री टी. रविकान्त	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्रीमती अर्चना सिंह	सचिव	सदस्य	
3.	श्री आदित्य कुमार पारीक	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री वी.एस. सुंडा	अभियांत्रिकी–II	सदस्य	
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमति श्रुति भारद्वाज	अति॰ आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्रीमती संचिता बिश्नोई	अति॰ आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	
8.	श्री एस.जेड. शाहिद	विशेषाधिकारी (आरएण्डएम) एवं अति॰ निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	सदस्य (आमंत्रित)	
9.	श्री गिरीश पाराशर	अति॰ आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री बीरबल सिंह	उपायुक्त, जोन–1 व 13	विशेष आमंत्रित	
11.	श्रीमती प्रिया बलराम	उपायुक्त, जोन–2, 3 व 6	विशेष आमंत्रित	
12.	श्री बलवन्त सिंह लिग्री	उपायुक्त, जोन –5, 8 एवं पीआरएन	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री अबू सूफियान चौहान	उपायुक्त, जोन–7, 9, 10 व 14	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री सुभाष मेहरिया	उपायुक्त, जोन– 4, 11 व 12	विशेष आमंत्रित	
15.	श्री सीताराम मीणा	उपनिदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित	
16.				
17.				
18.				
19.				
20				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशनः (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { adpc.jda@rajasthan.gove.in }

D:\lpc karyawahi suchna\Attendence note.doc